



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर – 342 005 (राजस्थान)

(भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय)

वेबसाइट: <http://www.aiimsjodhpur.edu.in>

विज्ञापन संख्या – प्रशासन/संस्थापन/04/05/2016/एम्स-जोधपुर

दिनांक 07 मई 2016

विषय :- परिवहन पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर (राजस्थान) द्वारा परिवहन पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	समूह	कुल पद*	आरक्षण			
				सामान्य	अपिव	अजा	अजजा
1.	परिवहन पर्यवेक्षक	ख	1	1	0	0	0

नोट :-

- *पदों का संख्या अनुमानित है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संस्थान के नियमों के तहत किया जा सकता है।

पदों के लिए निर्धारित अर्हता निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन	आयु सीमा	योग्यता/अनुभव
1	परिवहन पर्यवेक्षक	रु. 9,300-34,800 ग्रेड पे रु. 4600 के साथ	21-30 वर्ष	योग्यता:- आवश्यक:- <ol style="list-style-type: none">मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री।सरकारी संस्था में वाहन प्रबंधन का दो वर्ष का अनुभव। वांछित: <ol style="list-style-type: none">सरकारी नियम और विनियमन का ज्ञान।कम्प्यूटर में दक्षता।

सामान्य शर्तें

- उपरोक्त पद हेतु देय भते जोधपुर में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के कर्मचारियों के समान होंगे।
- वे सभी इच्छुक आवेदक जो वांछित पात्रता को पूर्ण करते हैं, ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु पंजीकरण एम्स जोधपुर की वेबसाइट <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> पर उपलब्ध रहेगा। ऊपर वर्णित पदों के लिए उनकी संबंधित सूचना के साथ ऑनलाईन आवेदन के लिए लिंक रोजगार समाचार में विज्ञापन के दिन शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञप्ति जारी होने के बाद तीस दिवस तक अर्थात् 6 जून 2016, सायं 05:00 बजे तक होगी। कोई भी दस्तावेज या ऑनलाईन आवेदन की प्रति सीधे एम्स जोधपुर को नहीं भेजनी है। तथापि सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन कि एक प्रतिलिपि अपने पास रिकार्ड रूप में रखें।
- जो आवेदक, इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले हैं, वे अपनी पात्रता को जाँचलें तभी आवेदन करें। सभी पात्र अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन अंतिम दिन (रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिवस (30वें दिन)) सायं 05:00 बजे तक अर्थात् 6 जून 2016, सायं 05:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तय समय के उपरांत प्राप्त आवेदन खारिज कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनके फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाईन मोड में आवेदन के भरने के समय में पूर्वाभ्यर्थियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फोटो/हस्ताक्षर छवि वेबसाइट पर पूर्वाभ्यर्थियों में छोटे या दिखाई सही

प्रदर्शित नहीं होने उक्त आवेदन एम्स के अनुसार निरस्त माना जायेगा अतः आवेदन से अनुरोध है कि अपना फोटो और हस्ताक्षर सही से अपलोड करें जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

5. अगर उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऑन लाईन मोड के माध्यम से अलग अलग पद के लिए अलग प्रपत्र भरना होगा।
6. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनके फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाईन मोड में आवेदन के भरने के समय में पूर्वालोकन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फोटो/हस्ताक्षर छवि वेबसाइट पर पूर्वालोकन में छोटे या दिखाई सही प्रदर्शित नहीं होने उक्त आवेदन एम्स के अनुसार निरस्त माना जायेगा अतः आवेदन से अनुरोध है कि अपना फोटो और हस्ताक्षर सही से अपलोड करें जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
7. **आवेदन शुल्क:** रु 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र)
 - 1) आवेदक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के केवल ऑनलाईन मोड के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकता है लेनदेन/प्रोसेसिंग शुल्क यदि कोई लागू हो तो वो उम्मीदवार द्वारा बैंक को देय होगा।
 - 2) आवेदन शुल्क एक बार प्रेषित होने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा।
 - 3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्य जन/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं होगा।
 - 4) वे आवेदन, जो निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त होंगे, उन पर पर विचार नहीं किया जाएगा और सीधे तौर पर खारिज कर दिये जाएंगे।

8. राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, सयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

नोट :-

- (i) बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

9. आयु सीमा में छूट:-

- 1) ऊपरी आयु सीमा की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से निर्धारित की जाएगी।
- 2) अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- 3) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए एम्स जोधपुर द्वारा केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
- 4) सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा गणना की तिथि (06.06.2016) को आयु में छूट विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	श्रेणि	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	05 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
3	शारीरिक रूप में विकलांग	10 वर्ष
4	शारीरिक रूप से विकलांग + अन्य पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष

5	शारीरिक रूप से विकलांग + अनुसूचित जाति / जनजाति	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक और कमीशन अधिकारी सहित ECOs/SSCOs	<p>(क) पाँच वर्ष, इस शर्त के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र सेना में निरंतर दि गई सेवा सत्यापन के बाद 6 माह से कम नहीं होगी। इस छुट के लिए ECOs/SSCOs भी पात्र है जिन्होंने सैन्य सेवा के प्रारम्भिक पाँच साल पूर्ण कर लिए है या जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पाँच साल के लिए बढ़ा दिया गया हो और इसके अधीन रक्षा मंत्रालय द्वारा साक्ष्य/प्रमाण जारी किया गया हो की चयन के नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख के उपरान्त उम्मीदवार को 3 महीनो के भीतर कार्य मुक्त कर दिया जायेगा। जो उम्मीदवार उपरोक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत आयु सीमा में छुट चाहते है उन्हें निर्धारित प्रारूप में संस्थान के समक्ष साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>नोट:- पूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही केन्द्र सरकार के तहत नियमित रोजगार सुरक्षित कर रखा है उन्हें उच्च पद पर या किसी और पद पर केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार सुरक्षित करने के लिए आयुसीमा में छुट के पात्र होंगे। हालांकी इस तरह के उम्मीदवादों को जो की भूतपूर्व सैनिक है उनको केन्द्र सरकार के अन्तर्गत निकली नौकरी में आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(ख) उपयुक्त छुट के अन्तर्गत उपरोक्त सम्बन्धित उम्मीदवारों को रक्षा बलों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की उन्हें रक्षा बलों द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया है। पूर्व सैनिक एवं कमीशंड आफिसर्स एवं ECOs/SSCOs का प्रमाण पत्र नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए तथा रक्षा बलों में सेवा की अवधि को निर्दिष्ट किया होना चाहिए।</p> <p>I. कमीशंड आफिसर्स एवं ECOs/SSCOs की स्थिति में: थल सेना: निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। जल सेना: निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, जल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना: निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।</p> <p>II. JCOs/ORs एवं जल सेना एवं वायु सेना में समकक्ष की स्थिति में: थल सेना: विभिन्न रेजिमेंट रिकोर्ड अधिकारियों द्वारा। जल सेना: जल सेना रिकोर्ड, मुम्बई। वायु सेना: वायु सेना रिकोर्ड, नई दिल्ली।</p>
7	केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों—ग्रुप ए और बी के पदों के लिए:	
	1) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (सामान्य/अनारक्षित), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	5 वर्ष
	2) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (ओबीसी), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	8 (5+3) वर्ष
	3) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (एससी/एसटी), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	10 (5+5) वर्ष

नोट – I: ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि वे नियमानुसार आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।

नोट – II: सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की “काल अप सर्विस” की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

नोट – III: आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण से से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूस का दर्जा पहले ही हासिल

कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम अधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से

- (अ) (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग – अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1988 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

नोट - IV: भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है।

- (ब) उम्मीदवार जो किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन करते रहे हैं, को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए एक निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा। सामुदायिक स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (स) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की पात्रता पर सरकार की केन्द्रीय सूची में वहन जाति आधारित होगा। भारती की अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनके उप-जाति केन्द्रीय ओबीसी की सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, ऐसा न उनकी उम्मीदवारी लागू किया आरक्षित श्रेणी से किसी के अधीन नहीं माना जाएगा और उर के रूप में माना जाएगा।
- (द) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी किया जाना चाहिए।

10. आवेदको को पहले से ही सरकारी सेवा में संस्थान शामिल होने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से राहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने/अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा**, जब इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **परीक्षा के पश्चात् कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाएं**। अन्यथा **अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै** स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी उम्भ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों का प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपिव अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर प्रस्थिति का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में 15.03.2013 और 09.09.2016 तक के बीच में जारी किए गए हो ही स्वीकार किए जाएंगे। **अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शावि दर्जे का दावा करते हैं तो एम्स जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा।**

चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा। **एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे।** ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में

स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मेग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले दृष्टि विकलांग (दृ.वि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में एम्स जोधपुर द्वारा मुहैया किए जाने वाले **प्रलिपिक** की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र में अनुरोध किया गया हो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.वि. अभ्यर्थियों के समतुल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। **ब्रेल में** प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक नहीं दिए जाएंगे।

दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ. वि./प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. अतिरिक्त समय का प्रावधान:

दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसका ब्योरा "संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 की रूपरेखा" शीर्षक के पैरा 9 के अंतर्गत दिया गया है

13. आवश्यक शैक्षिक योग्यता।

भारत के राजपत्र के दिनांक 10.06.2015 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

14. निश्चयार्थ पाठयक्रम

(क) **सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति** : इसमें शाब्दिक और गैर – शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर – शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय है : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अंतराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलोजेशन, वेन डाइग्राम रेखाचित्र अनुमिति, पंच होल/पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य उप-विषय, यदि कोई हो तो।

(ख) **सामान्य जानकारी** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके – पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

(ग) **परिमाणात्मक अभिरुचि**: इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं, अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल – औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहसंबंधता, अनुपूरक कोण, ऊर्चाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई – चार्ट आएंगे।

(घ) **अंग्रेजी परिज्ञान**: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा।

क,ख और घ भागों में प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित योग्यता अर्थात् स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा ।

भाग	विषय	अधिकतम अंक / प्रश्न	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/समय	दृष्टि विकलांग एवं प्रमस्तिकीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/समय
क	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
ख	सामान्य जानकारी	50		
ग	परिमाणात्मक अभिरुचि	50		
घ	अंग्रेजी परिज्ञान	50		

प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। भाग क, ख और ग के संबंध में प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

- एम्स जोधपुर को प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/शा.वि./भूपू.सै./सामान्य (अना.) के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में तथा कुल मिलाकर सभी प्रश्न – पत्रों में अलग – अलग न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
- इस परीक्षा की कुंजी (KEY) के संबंध में किसी अभ्यावेदन के बारे में जहां आवश्यक हो, विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षण किया जायेगा और ऐसी अवस्था में उस मामले में मूल्यांकन संशोधित उत्तर – कुंजी (ANSWER KEY) से किया जाएगा। इस संबंध में एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. दस्तावेज सत्यापन:

सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेगा अंतिम चयन हेतु उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करें। पदों से संबंधित विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय नहीं लिया जायेगा। आवेदन पत्र में दिए गये विकल्प अंतिम होंगे।

16. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कैल्क्यूलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा बेतार संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी और उसे तीन वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए एम्स जोधपुर की परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

17. चयन का तरीका:

- अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. के अभ्यर्थी सहित जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट दी गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। अतिरिक्त रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए हों।
- शारीरिक रूप से विकलांग (अवि/श्रवि/दृवि) व्यक्ति, जो सामान्य मानकों के अंतर्गत एम्स जोधपुर की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के विकलांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।
- किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./श्र.वि./दृ.वि.) श्रेणी के अभ्यर्थी को आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता।

- IV. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात् इस बाद से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- V. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो एम्स जोधपुर द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

18. दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें कोई हेर – फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना एम्स जोधपुर की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगी:

- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर।
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया हो।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर – फेर किया गया हो।
- (vii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा एम्स जोधपुर के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर – पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए एम्स जोधपुर द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।
- (xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना।
- (xiii) पात्रता भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे एम्स जोधपुर अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है।

19. एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

20. जो लोग पहले से किसी सेवा में उन्हें लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21. आवेदन फार्म भरने सम्बन्धित दिशा-निर्देश:- एम्स जोधपुर की अधिकारिक वेबसाईट अर्थात <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> पर उपलब्ध सहायक पुस्तिका (Help Manual) देखें।

अभ्यर्थियों की ललये अन्य सूचना

1. परलवलकुषल कलल: परलवलकुषल कलल कल सडडल अलवलधल 2 वरुष हलुगुी ।
2. अनुडलवल कल अलवलधल नलरुधलरलत शुकुषणलक डुगुडतल डुरलडुत करनल कल डलद कल ली कलडुगुी ।
3. कडुडुतर आधलरलत ऑनलललडन डरुीकुषल डुधडुर डु आडुडुऑलत कल कललडुगुी । डदुडल डुडुस डुधडुर कलसुी ऑुर डरुीकुषल कलंडुर डुर डरुीकुषल आडुडुऑलत करलवलनल कल अधलकलर ररुखतल हल ।
4. डुडुस डुधडुर कल डलस डह अधलकलर सुरकुषलत हल कल डह कलसुी डुी कलंडुर कल रदुद कर दे ऑुर उस कलंडुर कल अभुडरुथलडुी कल कलसुी कल कलंडुर सल डरुीकुषल डु डलडुनल कल ललडु कल हल । डुडुस डुधडुर कल डह डुी अधलकलर हल कल डह डरुीकुषल देनल कल ललडु कलसुी डुी कलंडुर कल अभुडरुथलडुी कल कुषुतुर कल डुीतर अथलवल डलहलर कलसुी अनुड कलंडुर डुर सुथलनलंतलरलत कर दे ।
5. आवेदकल कल डलरुी संखुडल कल देखते हुडु, डलतुरतल, शुरलणी इतुडलदल कल संवलकुषल (ऑलनडुीन) डरुीकुषल कल सडडु नहुी कल कललडुगुी । इसललडु आवेदन कलवल अनंतलडु रूडु सल डुी सुवलकलर कललडु कललडुगुी । अभुडरुथलडुी कल सलललह देी कलडुी हल कल आवेदन करनल सल डुरुव ऑुर कलसुी वलशुष डद कल ललडु अडुनल वरुीडतल दशरुनल सल डुरुव शुकुषलक डुगुडतल, आडु, शलरुीरलक डलडदणुड इतुडलदल कल अडुकुषलऑुी कल देख लल ऑुर अडुनल संतुशुलत कर लल कल डल डलतुर हल । सडुडरुथक दसुतलवलकुषल कल डुरतलडुल कलवल डरुीकुषल डु डलडुनल डललल अभुडरुथलडुी सल डलडल डुरुडुी कलशल डरुीकुषल/कडुडुतर डुरवलणुतल डरुीकुषल/ दसुतलवलकुषल सतुडलडन कल सडडु डुी डलंगुी कललडुगुी । डदल डरुीकुषल कल डलद डुडुस डुधडुर डुरलल संवलकुषल (ऑलनडुीन) करनल डुर डह डलडल कलडल हल कल कुऑुी सूकनल अथलवल दलवल ठीक नहुी हल, तु अभुडरुथलडुी रदुद कर देी कललडुगुी । इस संडुंध डु डुडुस डुधडुर कल नलरुणुड अंतलडु हलगुल ।
6. अभुडरुथलडुी कल उनकु अडुनल हलत डु सलललह देी कलडुी हल कल आवेदन करनल सल डुरुव डल इस वलडुऑलत डु उलुललखलत वलसुतुत अनुदलशुी कल धुडलनडुरुवक डदु लल, डु डुडुस डुधडुर कल वलडुसललडुत: <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> डुर डुी उडलडुडु हल ।
7. अकल/अकलकल/अडलडु/शल.वल./डुडुसल कल ललडु आरकुषण कल ललडु डुरलडुत करन इकुडुक अभुडरुथल सुनलशुलकत कर लल कल डल इस वलडुऑलत डु नलरुधलरलत डलतुरतल कल अनुसलर डुसल आरकुषण कल हकदलर हल । उनकु डलस आवेदन कल सडडु इस वलडुऑलत डु डललडु अनुसलर अडुनल दलवल कल सडुडरुथन डु वलहलत डुरडुर डु अडुकुषलत डुरडुलणडुर डुी हलनल कललडुगुी । अडलडु अभुडरुथलडुी कल सुनलशुलकत करनल कललडुगुी कल उनकु डलस डुरडुर डु सकुषडु डुरलधलकलरुी दुरलल नलडुत तलथल कल डुीतर कलरुी कलडुल वलधु अडलडु डुरडुलणडुर हल ।
8. कलवल 40 डुरतलशत ऑुर उससल अधलक कल दुरुषुल वलकललंगतल डललल अभुडरुथलडुी कल डुी दुरुषुल वलकललंग डलनल कललडुगुी ऑुर डल वल दुरुवल अभुडरुथलडुी कल ललडु आरकुषण कल हकदलर हलंगुी, कलहुी कलहुी डुी डह आरकुषण उडलडुडु हल ।
9. आडु डु डुऑुत कल दलवल करनल डललल कलंडुर सरकलर कल सलवलल कडुडुऑलरलरुी कल डलडल डुरुडुी कलशल डरुीकुषल/कडुडुतर डुरवलणुतल डरुीकुषल/दसुतलवलकुषल सतुडलडन कल सडडु अडुनल कलरुीऑललडु सल ललगतलर सलवल कल अलवलधल कल संडुंध डु वलहलत डुरडुर डु आवेदन डुरलडुत कल अंतलडु तलथल सल ततुकलल डुरुव अलवलधल डु कडु सल कडु तलन वरुशल कल ललगतलर सलवल अलवलधल कल संडुंध डु डुरडुलणडुर डुरसुतुत करनल कललडुगुी । उनकु कलडुन कल सुथलतल डु उनकुी नलडुडुतल कल सडडु त कलवल कलंडुर सरकलर सलवलल कडुडुऑलरुी हलनल कललडुगुी ।
10. आवेदन डुरलडुत कल अंतलडु तलथल 06.06.2016 सलडु: 05:00 डलकु तलक हलगुी ।
11. अभुडरुथलडुी दुरलल कलवल डुी आवेदन, ऑनलललडुन कलडु करलडुल कललडुगुी । ऑनलललडुन आवेदन कल ललडु डलहुवलधल आवेदनुी कल डलडु डु डु अंतलडु आवेदन कलसकु ललडु डुंकलकरण डुरुल कर ललडुगुी हल सुवलकलर कलडुल कललडुगुी ।
12. डरुीकुषल कलंडुरी कल डुरलसर कल अंडुर डुडुडलइल ऑुर अनुड इललकुऑुीनलक उडकलरुणुी डुर डलडुडुी हल । डरुीकुषल हलल कल अंडुर इस डुरकलर कल कलसुी उडकलरुण कल डलडु कलनल डुर, कलहल वल उडडुडुगु डु हल अथलवल डुडुडु डु उसल अनुकलत सलधनुी कल डुरडुडुगु करतल हुडु सडुडुल कललडुगुी । डुसल अभुडरुथलडुी कल अभुडरुथलडुी नलरसुत कर देी कललडुगुी । उनकु वलरुडुडु डुडुस डुधडुर दुरलल आडुरलधलक कलरुवलडुी कल कल सलकतुी हल ।
13. अभुडरुथल <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> डुर ऑनलललडुन आवेदन कर सलकतल हल । डुसल अभुडरुथलडुी कल डुडुस डुधडुर कल सलथ डुरतुरलकलर करनल कल ललडु उनहुँ दलडुल डुल ऑनलललडुन रकलसुतुरेशन नडुडुर अडुनल डलस ररुखनल कललडुगुी । उनहुँ डुडुस डुधडुर डु अडुनल आवेदन कल डुरलडुत आरुकुत कलडु करनल कल आलवलशुडकतल नहुी हल । रकलसुतुरेशन कल ललडु ऑनलललडुन आवेदन करनल कल सुवलधल दलनलंक सडडु सल दलनलंक सडडु तलक उडलडुडु हलगुी ।
14. अभुडरुथलडुी कल डरुीकुषल कलंडुर डु अडुनल डुहकलन कल डुऑुतु ललगल कडु सलकुष डुसल डुललडुवलंग ललडुसलंस, डुतदलतल कलरुडु, आधलर कलरुडु, वलशुवलवलदुललडु /कललकुषल दुरलल कलरुी डुहकलन डुरतुर, आडुकर डुन कलरुडु कल डुल रूडु डु अडुनल सलथ ललनल कललडुगुी, कलसकु डु डुनल उनहुँ डरुीकुषल डु डलडुनल कल अनुडलत नहुी देी कललडुगुी ।
15. डुरडुलणडुरी/अनुडुंधुी कल डुऑुतु कल ललडु कुरुडुल हडुलरुी वलडुसललडुत <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> देखु ।
16. डुऑुत डुरु सडडु अलवलधल कल डु नलकल डुरलकुवलस नलडुषलदु हल ।
17. उडुडुीदलवलर कल डलरुी डु कलडु करनल हलगुल ऑुर संसुथलन डु कलसुी डुी सुथलन डुर डुऑुत कलडुल कल सलकतल ।
18. उडुडुीदलवलर संसुथलन कल सलथ कलडु डु डुरलडुीण ऑुर शलहरी कलंडुरी डुर डुी तलनलत कलडुल कल सलकतल हल । कलल अलवलधल संसुथलन कल दुरलललरुी नलरुधलरलत कल कललडुगुी ।
19. रलवलतुडुी कल संखुडल डु कडुी डल वुरुधल करनल कल अधलकलर हल अखलल डुरलरुीडुल आडुडुवलकलन संसुथलन कल डलस हलगुल ।
20. अडुरुणु आवेदन डुर वलकलर नहुी कलडुल कललडुगुी ।
21. कलसुी डुी डुरकलर कल डुरकलर अडुडुगु डुषलत कर दलडुल कलडुलडुगुी ।
22. अभुडरुथलडुी नुडलडुललडु कल दुरलललरुी नहुी हलनल कललडुगुी ।
23. अडुर उडुडुीदलवलर दुरलल डुषणल डल देी डुरु सुकनल कल डुलत डलडुल डुल डल उडुडुीदलवलर नल नलडुडुतल सल संडुंधलत आलवलशुडक सुकनल कल ऑुडुडुल तुल उसल सलवल सल हतल दलडुल कललडुगुी तथल नलडुडुतल सडुडुतल दुरलल उकलत कलरुीडुललरुी कल कललडुगुी ।
24. सकुषडु डुरलधलकलरुी कुऑुी कलरुण डुतलडु डल सुकनल देनल कल डु डुनल वलडुऑलडन डु कलसुी डुी संशुधन, रदुदु करनल ऑुर डुरु कल रूडु डु डल हलरुसल डु इस वलडुऑलडन डु डुरलरुवलतन कल अधलकलर सुरकुषलत ररुखतल हल ।

25. परीक्षाओं के संचालन, साक्षात्कार, दस्तावेजों के सत्यापन तथा चयन के संबंध में सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्य होगा। इस संबंध में कोई प्रतिनिधि पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
26. सभी विवादों का निस्तारण का अधिकार क्षेत्र जोधपुर न्यायालय के अधीन किया जाएगा।

22. स्पष्टीकरण एवं पूछताछ:

Mail to: recruitment2@aiimsjodhpur.edu.in

दूरभाष न. 0291 – 2740741 (केवल ऑनलाइन आवेदन फार्म संबंधित जानकारी के लिए)

**प्रशासनिक अधिकारी
एम्स, जोधपुर**